निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 106 / 2014 तारीख दायरा 01.08.2014

उनवान

अब्दुल हमीद पुत्र श्री छोटू मोहम्मद जाति नीलगर मुसलमान निवासी ग्राम खजूरी (ओदपुर) तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी

बनाम

1. चांद मोहम्मद पुत्र श्री हुसैन मोहम्मद जाति नीलगर मुसलमान निवासी ग्राम खजूरी (ओदपुर) तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनॉक :— 10.02.2021

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी कं. 1 के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 76 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 78 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.12 [illegible] खरकनाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित रही है। वादग्रस्त आराजी [illegible] 2067—70 में मूल खातेदार छोटू पुत्र श्री ख्वाजू व प्रतिवादी कं. 1 के [illegible] दर्ज थी तथा सहहिस्सेदार छोटू पुत्र ख्वाजू ने उक्त आराजी में निहित स्वयं का सम्पूर्ण [illegible] जरिये रजिस्टर्ड [illegible]मा कमांक 2011000445 दिनांक 31.05.2011 से वादी के हक में हिबा कर कब्जा आराजी मौके पर वादी को सभंला दिया था। तब से वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी का 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार काश्तकार वादी के कब्जेकाश्त में बदस्तूर चली आ रही है। बाद पंजीयन हिबानामा वादी ने तत्कालीन पटवारी हलका को हिबानामा की नकल वास्ते इन्तकाल सुपुर्द कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:51 IST
Reason: SelfAttested

दिया था किन्तु गत सप्ताह वादी हाल पटवारी हलका के पास नकल जमाबन्दी लेने गया तो
हाल पटवारी ने बताया कि गत पटवारी ने हिबानामा का इन्तकाल दर्ज नहीं किया तथा पटवारी
हलका ने बताया कि सेटलमैन्ट संवत् 2058 में सेटलमेंट विभाग ने नवीन नक्शा शीट में खेत के
नक्शे अदल–बदल कर दिये थे जिसके कारण वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी के
पडौसी काश्तकारों द्वारा दायर सेटलमैन्ट त्रुटि दुरूस्ती वाद में पारित निर्णय की पालना में
तस्दीक इन्तकाल नं. 129 दिनॉक 10.04.2012 से खाते में तब्दीली होकर खसरा नंबर 76/0.32,
खसरा नंबर 78/0.52 कुल किता 2 की 0.84 हैक्टर के बजाय खसरा नंबर 80 की 0.84 हैक्टर
आराजी दर्ज हो गई है तथा इसकी एवज में खसरा नंबर 76/0.32, खसरा नंबर 78/0.52 कुल
किता 2 की 0.84 हैक्टर आराजी पडौसी काश्तकार मोहनलाल, खेमराज, रमेशचन्द पुत्रान
कालूलाल माली के खाते दर्ज हो गई है। चूंकि खसरा नंबर 76, 77, 78, 80 पूर्व में एक ही खेत
था जिसके कारण सेटलमैन्ट विभाग ने वक्त सेटलमैन्ट नक्शा शीट में खसरा नंबरान
अदल–बदल अंकित कर दिये थे व न्यायालय आदेश से सेटलमैन्ट त्रुटि दुरूस्ती कर राजस्व
रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जिसके कारण रजिस्टर्ड हिबानामा का रिकार्ड में अमल नहीं हो
सका जबकि वादी रजिस्टर्ड हिबानामा से वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार बना है जिसे
कानूनन अपने हिस्से की आराजी की घोषणा व विभाजन करवाने का पूर्ण अधिकार है। मौके पर
आपसी विभाजन के मुताबिक वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 पृथक–पृथक आराजी काश्त करते चले आ
रहे हैं जिसके मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खाते पृथक–पृथक अंकन करवाने का वादी को पूर्ण
कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादकारण गत सप्ताह राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त होने पर रिकार्ड
की प्रथम बार जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ। अतः माल ग्राम खरकनाखेडी तहसील सांगोद
जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 77 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.71 हैक्टर,
खसरा नंबर 80 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.12 हैक्टर के 1/2 हिस्से का वादी
को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी क्रं. 1 को खातेदार घोषित किया जावें तथा पक्षकारान के मौके
के विभाजन के मुताबिक खाते पृथक–पृथक किये जाकर लगान राज भी पृथक–पृथक दर्ज किया
जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभय पक्षकारान की सहमति से दिनांक 15.10.2020 को दावा वादी डिक्री
योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी अब्दुल ... को ग्राम खरकनाखेडी के खसरा नंबर
77 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 80 रकबा 0.84 हैक्टर
कुल किता 3 की कुल 2.12 हैक्टर आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया
गया था। साथ ही तहसीलदार सांगोद से विभाजन प्रस्ताव तलब करने के आदेश किये थे
जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन
करने में वादी द्वारा असहमति व्यक्त की तथा जाहिर किया कि तहसीलदार सांगोद द्वारा जो

1/2 हिस्सा ही अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये वादी की प्रार्थना को स्वीकार करना उचित समझती हूँ तथा वादपत्र में विभाजन के अलावा शेष अनुतोष को स्वीकार करते हुये दावा वादी अन्तिम रूप से स्वीकार कर डिक्री पारित करना उचित समझती हूँ।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि– वादी अब्दुल हमीद को ग्राम खरकनाखेडी तहसील सांगोद में स्थित खसरा नंबर 77 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 80 रकबा 0.84 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.12 हैक्टर आराजी में छोटू पुत्र ख्वाजू के नाम दर्ज 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में छोटू पुत्र ख्वाजू के स्थान पर वादी का नाम अंकित किया जावें। प्रतिवादी चांद मोहम्मद का नाम यथावत 1/2 हिस्से में दर्ज रखा जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद